

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक, क्षय,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्र सं०: 01-D/RNTCP/NP/2017-18/3042

दिनांक: 03-7-17

विषय : पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में कमिटेड करायी गयी धनराशि के सापेक्ष से अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-एसटीसीएस/240/एसीएफ/2017/838 दिनांक 09.06.2017 एवं पत्र सं०-एसटीसीएस/150/2010/2017-18/831 दिनांक 09.06.2017 के माध्यम से आर०एन०टी०सी०पी० के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में कमिटेड करायी गयी धनराशि के सापेक्ष जनपद आगरा, मेरठ, वाराणसी, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद एवं उन्नाव में एक्टिव केस फाइन्डिंग की गतिविधि के लिये रु० 243.51 लाख सम्बन्धित 6 जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त किये जाने हेतु एवं वर्ष 2016-17 की आर०ओ०पी० में अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त न किये जाने की स्थिति में वर्ष 2017-18 में कमिटेड करायी गयी धनराशि से रु० 95.92 लाख की धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया था।

उक्त प्रस्तावों के क्रम में कमिटेड करायी गयी धनराशि में से एक्टिव केस फाइन्डिंग हेतु धनराशि रु० 243.51 लाख एवं आर०ओ०पी० में अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में कमिटेड करायी गयी धनराशि से रु० 95.92 लाख जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्नलिखित तालिका के अनुसार मदवार दिनांक 28.06.2017 को अवमुक्त की कर दी गयी है-

District Allocation for ACF Activity								
SN	Name of District	Total Release (Rs.)	H.2 Laboratory materials	H.4 ACSM	H.6 Training	H.13 Printing	H.11 Office Operation	H.19 Supervision and Monitoring
1	Agra	5539500	148500	1846500	1080500	941000	504000	1019000
2	G B Nagar	2086500	56000	696000	406500	354000	190000	384000
3	Ghaziabad	3838500	103000	1281000	748500	652000	349000	705000
4	Meerut	4360000	116500	1453500	851000	741000	396000	802000
5	Unnao	3869500	104000	1290500	755000	657000	352000	711000
6	Varanasi	4657000	125000	1553000	909000	791000	423000	856000
Grand Total		24351000	653000	8120500	4750500	4136000	2214000	4477000

District Allocation					
SN	Name of District	Total Release (Rs.)	H.2 Laboratory materials	H.6 Training	H.17 Procurement of Equipments
1	Agra	209841.00	123291.00	86550.00	0.00
2	Aligarh	100095.00	100095.00	0.00	0.00
3	Allahabad	162502.00	162502.00	0.00	0.00
4	Ambedkar Nagar	65146.00	65146.00	0.00	0.00
5	Amethi	44121.00	44121.00	0.00	0.00
6	Amroha (JP Nagar)	150093.00	50093.00	0.00	100000.00
7	Auraiya	237314.00	37314.00	0.00	200000.00
8	Azamgarh	125803.00	125803.00	0.00	0.00
9	Baghpat	135373.00	35373.00	0.00	100000.00
10	Bahraich	94764.00	94764.00	0.00	0.00
11	Ballia	187902.00	87902.00	0.00	100000.00
12	Balrampur	58508.00	58508.00	0.00	0.00
13	Banda	48952.00	48952.00	0.00	0.00
14	barabanki	188824.00	88824.00	0.00	100000.00
15	Bareilly	121642.00	121642.00	0.00	0.00
16	Basti	66983.00	66983.00	0.00	0.00
17	Bijnor	200347.00	100347.00	0.00	100000.00
18	Budaun	101136.00	101136.00	0.00	0.00
19	Bulandshahar	195402.00	95402.00	0.00	100000.00
20	Chandauli	53135.00	53135.00	0.00	0.00
21	Chitrakoot	26981.00	26981.00	0.00	0.00
22	Deoria	184451.00	84451.00	0.00	100000.00
23	Etah	147995.00	47995.00	0.00	100000.00
24	Etawah	43023.00	43023.00	0.00	0.00
25	Faizabad	67168.00	67168.00	0.00	0.00
26	Farukhabad	151399.00	51399.00	0.00	100000.00
27	Fatehpur	271750.00	71750.00	0.00	200000.00
28	Firozabad	68015.00	68015.00	0.00	0.00
29	Gautam Buddha Nagar	145624.00	45624.00	0.00	100000.00
30	Ghaziabad	242466.00	82466.00	0.00	160000.00
31	Ghazipur	198663.00	98663.00	0.00	100000.00
32	Gonda	92441.00	92441.00	0.00	0.00
33	Gorakhpur	120888.00	120888.00	0.00	0.00
34	Hamirpur	30101.00	30101.00	0.00	0.00
35	Hapur	230399.00	30399.00	0.00	200000.00

District Allocation (Against SPIP Approval)					
SN	Name of District	Total Release (Rs.)	H.2 Laboratory materials	H.6 Training	H.17 Procurement of Equipments
36	Hardoi	111438.00	111438.00	0.00	0.00
37	Hathras	142650.00	42650.00	0.00	100000.00
38	Jalaun	44976.00	44976.00	0.00	0.00
39	Jaunpur	221949.00	121949.00	0.00	100000.00
40	Jhansi	54549.00	54549.00	0.00	0.00
41	Kannauj	145101.00	45101.00	0.00	100000.00
42	Kanpur Dehat	148822.00	48822.00	0.00	100000.00
43	Kanpur Nagar	224666.00	124666.00	0.00	100000.00
44	Kasganj	139096.00	39096.00	0.00	100000.00
45	Kaushambi	43403.00	43403.00	0.00	0.00
46	Kushi Nagar (Padrauna)	197077.00	97077.00	0.00	100000.00
47	Lakhimpur Kheri	209358.00	109358.00	0.00	100000.00
48	Lalitpur	33137.00	33137.00	0.00	0.00
49	Lucknow	125057.00	125057.00	0.00	0.00
50	Maharajganj	172612.00	72612.00	0.00	100000.00
51	Mahoba	123576.00	23576.00	0.00	100000.00
52	Mainpuri	50271.00	50271.00	0.00	0.00
53	Mathura	69235.00	69235.00	0.00	0.00
54	MAU	59999.00	59999.00	0.00	0.00
55	Meerut	93963.00	93963.00	0.00	0.00
56	MIRZAPUR	67877.00	67877.00	0.00	0.00
57	Moradabad	183277.00	83277.00	0.00	100000.00
58	Muzaffar Nagar	86751.00	86751.00	0.00	0.00
59	Pilibhit	55470.00	55470.00	0.00	0.00
60	Pratapgarh	86444.00	86444.00	0.00	0.00
61	Raebareli	198895.00	98895.00	0.00	100000.00
62	Rampur	163624.00	63624.00	0.00	100000.00
63	Saharanpur	94316.00	94316.00	0.00	0.00
64	Sambhal	142530.00	42530.00	0.00	100000.00
65	Sant Kabir Nagar	146412.00	46412.00	0.00	100000.00
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	42293.00	42293.00	0.00	0.00
67	Shahjahanpur	181800.00	81800.00	0.00	100000.00
68	Shamali	240702.00	40702.00	0.00	200000.00
69	Shrawasti	130274.00	30274.00	0.00	100000.00

District Allocation (Against SPIP Approval)					
SN	Name of District	Total Release (Rs.)	H.2 Laboratory materials	H.6 Training	H.17 Procurement of Equipments
70	Siddharth Nagar	69567.00	69567.00	0.00	0.00
71	Sitapur	321874.00	121874.00	0.00	200000.00
72	Sonbhadra	150671.00	50671.00	0.00	100000.00
73	Sultanpur	64044.00	64044.00	0.00	0.00
74	Unnao	84737.00	84737.00	0.00	0.00
75	Varanasi	100285.00	100285.00	0.00	0.00
Grand Total		9592025.00	5445475.00	86550.00	4060000.00

3. उपर्युक्त अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु कार्यक्रम के सुचारु एवं गुणवत्तापरक संचालन हेतु मदवार मानक दर्शाते हुये स्पष्ट एवं विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जनपदों को निर्गत कराने का कष्ट करें। जनपद को प्रेषित की जाने वाले दिशा-निर्देश में निम्नलिखित वित्तीय बिन्दुओं को भी सम्मिलित करवाने का भी कष्ट करें-

- अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की गयी है।
- धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकी में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये, जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट टीम एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
- भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

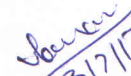

Dr (डा० विजय लक्ष्मी)
वरिष्ठ सलाहकार।

पत्र सं०: 01-D/RNTCP/NP/2017-18/3042-2

तददिनांक

प्रतिलिपि

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सादर सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


Dr (डा० विजय लक्ष्मी)
वरिष्ठ सलाहकार।


30.4.17